

अभिलेख उपस्थापित। देनदार द्वारा बचि जमा करने की कोई सूचना नहीं है, न देनदार के बाग किसी तरह का आवेदन पत्र मिला गया है।

अतः देनदार के विरुद्ध बचि पट्टी हेतु पारेंट प्रिगित करें। पारेंट तामिला हेतु संबंधित धाना प्रभाय का अज्ञ।

नीलाम पत्र पठा

11.02.21

अभिलेख उपस्थापित अर्चना पदाधिकारी,  
कारखंड राज्य, ग्रामीण बैंक, नारायणी के पत्रांक  
नरका 110/2020-21 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा  
सूचित किया गया है कि देनदार के द्वारा सम्पूर्ण  
बकला बचि जमा कर दिया गया है।

अतः अभिलेख की कारवाई बंद  
की जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी  
सह नीलाम पत्र पदाधिकारी  
बडगामा (गोडडा)